



**The Freedom Fighter
Who Became...**

Reginald Augustus Babulal Singh was usually known simply as Lal. His father, Baboolal, was from Kanpur and his mother, Lakshmi, was from Saharanpur

**The Long, Juicy Mango
with a Tiny Seed**

**A Forgotten Painting
Changed Everything
for Alma Greer**

‘मोदी सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन अब दशहरे के बाद शुरू होंगे’

राहुल गांधी ने सुनहरी बाग स्थित निवास पर “हाई-टी” के बाद यह निर्णय लिया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का मार्च दशहरे के बाद तक रोके जाने की संभावना है, ताकि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने-अपने घर लौटकर नवरात्र, दुर्गा पूजा और दशहरे का त्योहार मना सकें।
यह फैसला राहुल गांधी ने सुनहरी बाग रोड स्थित अपने आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं और सांसदों के लिए आयोजित हाई टी (चाय पार्टी) के दौरान लिया।
चाय पार्टी के बाद मीडिया से बात करते हुए नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की बहाली, वोट चोरी के लिए सरकार

- कांग्रेस का मानना है, कल सोमवार को आयोजित मार्च व धरना बहुत सफल रहा था। अतः, अब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कुछ आराम करने का मौका देना चाहिए। अतः दशहरे के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकत्रित करके, दोबारा धरना-प्रदर्शन आयोजित किये जाएंगे।
- और, तब तक यह भी आंकलन लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट का क्या सोच है।

को जवाबदेह ठहराने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के मुद्दे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाए जायेंगे।
कल निकाले गए मार्च और धरने को मिली बड़ी सफलता के बाद नेताओं

को लगता है कि अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और दशहरे के बाद फिर से एकजुट होना चाहिए।
इसके साथ ही, इंडिया गठबंधन इस बात पर भी नजर रखेगा कि चीफ

जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कैसे कार्रवाई करते हैं और क्या कदम उठाते हैं।
दुर्गा-पूजा के मौसम में अदालत में भी अवकाश रहेगा।
लेकिन, अदालत में याचिका दायर करने के फैसले पर पार्टी और गठबंधन के कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या यह समझदारी भरा कदम था।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वे अदालत और मुख्य न्यायाधीश का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन वे एक राजनीतिक दल हैं और अदालत का फैसला चाहे जो भी हो, उनकी राजनीतिक लड़ाई सड़कों पर जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मान हानि के मुकदमे को फिलहाल स्थगित किया

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चार सप्ताह का समय दिया, इस मुकदमे में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी। यह मामला राफेल फाइटर जेट डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ, राहुल गांधी की कथित “कमांडर-इन-थीफ” (चोरों के कमांडर) और “चोरों के सरदार” जैसी टिप्पणियों से जुड़ा है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। इस आदेश से निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल कुछ समय के लिए रोक लग गई है।

यूपीआई लेन-देन पर शुल्क का निर्णय दीवाली बाद होगा

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले देशभर के करोड़ों यूपीआई यूजर्स और दुकानदारों को राहत देने के मकसद से यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के लेनदेन

- त्योहारी सीजन में यूपीआई यूजर्स तथा दुकानदारों को राहत।

पर 15 अक्टूबर से लिए जाने वाले एमडीआर शुल्क को लागू करने का फैसला फिलहाल टाल दिया है।
यूपीआई और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने मंगलवार को ‘एक्स’ पर जारी एक पोस्ट में बताया कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया है कि कुछ खास पर्सन-टू-मर्चेन्ट (पी2एम) यूपीआई लेनदेन पर 15 अक्टूबर से मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होने वाले फैसले को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से “लोअर कोर्ट” में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लग गई है।

राहुल गांधी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।

यह मामला सितंबर 2018 में राजस्थान में एक रैली के दौरान राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। उस समय राफेल सौदे को लेकर

राजनीतिक विवाद चल रहा था। शिकायतकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल के अनुसार, राहुल गांधी की टिप्पणियाँ अपमानजनक थीं और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
उन्होंने यह भी दावा किया कि इन बयानों के बाद समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को ट्रोल किया गया। शिकायतकर्ता ने इसे मानहानि का आधार बताया।
श्रीश्रीमाल का तर्क है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणियों, जिनमें उन्हें “चोरों का सरदार” कहना भी शामिल है, से भाजपा नागरिक को अविश्वास में ले जाकर पीटना और बेहोश कर देना अक्षम्य अपराध है। सिर्फ सात पुलिसकर्मियों का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

थाने में पिटाई के दोषियों पर कार्यवाही की 16 अक्टूबर को रिपोर्ट दें

जयपुर, 13 अक्टूबर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने नरैना थाने में आरएसएस जिला प्रचारक की बेरहमी से पिटाई के मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही, आयोग ने जयपुर रेंज के आईजी, जयपुर ग्रामीण एसपी तथा जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे 11 अक्टूबर सुबह 8 बजे से 12 अक्टूबर सुबह 8 बजे तक की

- राज्य मानवाधिकार आयोग ने नरैना थाने में आरएसएस प्रचारक की पिटाई पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया।

सीसीटीवी फुटेज, थाने का रोजनामचा, घायल की मेडिकल रिपोर्ट और पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें। आयोग ने आईजी से कहा है कि किसी एसपी स्तर के अधिकारी से जांच करवाकर अपनी रिपोर्ट भी आयोग को भेजें। आयोग ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक सभ्य नागरिक को चोर के रूप में पेश किया गया। उनके अनुसार, इससे पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं की छवि को नुकसान पहुंचा।

जब्त वाहन की मियाद से पहले नीलामी पर 2 लाख रुपए जुर्माना

जयपुर, 13 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चोरी हुए वाहन को अवैध शराब के मामले में जब्त कर, बिना अपील की मियाद पूरी हुए, नीलाम करने के आबकारी आयुक्त के आदेश को अवैध माना है। इसके साथ ही,

- हाई कोर्ट ने नीलामी में प्राप्त 8.03 लाख रुपए की राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के भी निर्देश दिए।

अदालत ने वाहन की नीलामी में प्राप्त राशि 8.03 लाख रुपए छह फीसदी ब्याज सहित याचिकाकर्ताओं को लौटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने विभाग की इस कार्रवाई को प्रताड़ना मानते हुए, दो लाख रुपए हर्जाने के तौर पर भी याचिकाकर्ता को अदा करने को कहा है। जस्टिस आनंद शर्मा ने ये आदेश राजेन्द्र सिंह भाटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता हरी किशन सेनी ने अदालत को बताया कि गुराटर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

काँकरोच जनता पार्टी, पुलिस की चौकसी तोड़ते हुए जंतर-मंतर पहुँची

काँकरोच जनता पार्टी ने बड़ा दंभपूर्ण वक्तव्य दिया कि उन्होंने पुनः जंतर मंतर पर कब्जा कर लिया है, धरने-प्रदर्शन के लिए

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए तय स्थानों की सूची से हटाए जाने के एक दिन बाद, मंगलवार सुबह काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की घेराबंदी तोड़कर प्रदर्शन स्थल में प्रवेश किया। सुरक्षा प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन की जगह पर फिर से कब्जा जमा लिया। हालांकि, इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए पुलिस की घेराबंदी पार की। हिरासत में लिए जाने के बावजूद, समूह ने दावा किया कि इस ऐतिहासिक प्रदर्शन स्थल में प्रवेश करके उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है।
यह घटना ऐसे समय हुई है, जब सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना अभियान चला रही है। पार्टी ने मतदाता सूची में संशोधन के दौरान

- उन्होंने इसी लय में आगे कहा कि सरकार द्वारा “आंदोलन को “डीनोटीफाय” करने से आंदोलन खत्म नहीं हो जाता।
- विपक्ष के नेताओं व सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जंतर मंतर का विरोध-प्रदर्शन करने के अवसर को कम करना चाहती है।

कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं में शामिल दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जंतर-मंतर में सीजेपी के इस ग्रुप के प्रवेश को बड़ी उपलब्धि बताया।
उन्होंने लिखा, “जंतर-मंतर को फिर से हासिल कर लिया गया है। हमने जंतर-मंतर में प्रवेश किया है और अब हमें हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन यह हम सभी युवाओं के लिए एक संदेश है! हम यह कर सकते हैं! जानी, अब तुम्हारा खेल खत्म है, भाई!”
रांका ने प्रदर्शनकारियों के प्रवेश को सुरक्षा व्यवस्था में संध बताया। उन्होंने घोषणा की, “जंतर-मंतर के

किले की घेराबंदी तोड़ दी गई है।”
सीजेपी के संस्थापक अधिजीत दीपके ने भी प्रदर्शन के वीडियो और तस्वीरें साझा कीं। इनमें राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए रांका की एक तस्वीर भी शामिल थी।
एक अलग पोस्ट में दीपके ने पुष्टि की कि प्रदर्शन स्थल में प्रवेश करने के बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। उन्होंने जंतर-मंतर को जंतर-मंतर का आधिकारिक प्रदर्शन स्थल का दर्जा देने वाली व्यवस्था खत्म करने के फैसले को भी चुनौती दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, ““आप विरोध को खत्म नहीं कर सकते।”
यह घटना सोमवार, 12 अक्टूबर

को दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के बाद हुई। इस अधिसूचना में जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शनों और धरनों के लिए आधिकारिक रूप से तय स्थानों की सूची से हटा दिया गया था।
नई व्यवस्था के तहत, रामलीला मैदान, बुराडी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबोडी मैदान को प्रदर्शन के वैकल्पिक स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया है।
यह निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया। समिति को उन वैकल्पिक स्थानों की पहचान करने का काम सौंपा गया था, जहां नागरिक विरोध प्रदर्शन आयोजित कर सकें।
विपक्षी नेताओं और सीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय की आलोचना की। उनका कहना है कि जंतर-मंतर का आधिकारिक प्रदर्शन स्थल का दर्जा समाप्त करने से लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से विरोध जताने के अवसर सीमित हो जाएंगे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जयशम रमेश ने भी इस फैसले की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोलकाता में ममता बनर्जी पर हमले का प्रयास

कोलकाता, 13 अक्टूबर। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मंगलवार शाम कालीघाट स्थित उनके आवास के सामने चाकू से हमले की कोशिश की घटना सामने आई है।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने दावा किया कि एक महिला चाकू

- तृणमूल सांसद डोला सेन ने पुलिस को ईमेल भेज कर शिकायत की।

लेकर ममता की ओर झपटी और उनके साथ गाली-गलौज की।
महिला को पहचान तन्निषा साहा के रूप में बताई गई है। डोला ने इस मामले में कालीघाट थाने के आसी को ईमेल भेजकर शिकायत की है। घटना के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया।
डोला सेन के अनुसार, मंगलवार शाम करीब छह बजे वे ममता बनर्जी और तृणमूल नेता वैश्वानर चट्टोपाध्याय के साथ कालीघाट मिलन संघ की दुर्गापूजा में जा रही थीं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)